



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक -19.07.2024

कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 17.07.2024 को वादी ने थाना जालौन में तहरीरी सूचना दी कि अभियुक्तगण 1. धीरज पुत्र सुखदराम बेलदार 2. रवि पुत्र सुरेश बाल्मीक 3. मानसिंह पुत्र मुनीम बाल्मिकी नि0गण सिकरीराजा थाना जालौन 4. रामवरन उर्फ मामू पुत्र बाबूलाल नि0 ग्राम मंगरौल कला थाना कुलपहाड जनपद महोबा द्वारा वादी के पुत्र भरत उर्फ विशाल उम्र करीब 25 वर्ष को अपने साथ बात करने के बहाने से लेकर जाना तथा मारकर कुएं में डाल देना। जिसके संबन्ध में थाना जालौन में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 219/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना जालौन पुलिस टीम को लगाया गया था, जिसके फलस्वरूप थाना जालौन पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तगण 1. रवि पुत्र सुरेश बाल्मीकि निवासी ग्राम सिकरीराजा थाना जालौन जनपद जालौन 2. रामवरन उर्फ मामू पुत्र बाबूलाल नि0 ग्राम मंगरौल कला थाना कुलपहाड जनपद महोबा को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. रवि पुत्र सुरेश बाल्मीकि निवासी ग्राम सिकरीराजा थाना जालौन जनपद जालौन उम्र करीब 36 वर्ष।
2. रामवरन उर्फ मामू पुत्र बाबूलाल नि0 ग्राम मंगरौल कला थाना कुलपहाड जनपद महोबा उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन मय पुलिस टीम।